निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0, सर्वोदयनगर, कानपुर।
सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

संख्याः टी–16 / पुनर्योजन / 2026 / 19151 दिनांकः 04/11/26

उ0प्र0 शासन के श्रम अनुभाग–6 के शासनादेश संख्याः525 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांक 27–4–2020 एवं 559 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांकः10–6–2020 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में शासनादेश संख्याः60 / 36–6–2025–34(सा0) / 19(1698260) दिनांकः30.12.2025 द्वारा जनहित के दृष्टिगत शासनादेश दिनांकः10.06.2020 के प्राविधानानुसार योजनान्तर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में विशेषज्ञतावार विशेषज्ञों के रिक्त पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तर प्रदेश / उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के सेवानिवृत्त विशेषज्ञों से, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुरानी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के राजकोष से पेंशन हेतु पात्र हैं, 01 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने या विशेषज्ञ पद पर नियमित तैनाती होने तक के लिए (जो भी पहले हो) पुनर्नियुक्ति / पुनर्योजन हेतु निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत / स्पीड पोस्ट या सीधे निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उ0प्र0 सर्वोदयनगर, कानपुर में दिनांकः10.12.2026 की शायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की पुनर्नियुक्ति हेतु विशेषज्ञों की रिक्तियों का विवरण

क्र0 सं0	क0रा0बी0 चिकित्सालय	विशेषज्ञ								
		फिजीशियन	सर्जन	आर्थो0 सर्जन	रेडियोलाजिस्ट	एनेस्थेटिस्ट	चेस्ट एवं टी0बी0 रोग	पैथालाजिस्ट	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	बाल रोग विशेषज्ञ
1	पाण्डुनगर, कानपुर	01	01	01	01	0	0	0	0	0
2	सर्वोदयनगर, कानपुर	01	01	0	0	01	0	0	01	0
3	किदवईनगर, कानपुर	01	01	01	0	01	0	0	01	0
4	आजादनगर, कानपुर	0	0	0	01	0	02	01	0	0
5	नैनी, प्रयागराज	01	01	01	0	0	0	0	01	0
6	आगरा	01	01	01	0	01	0	0	01	0
7	मोदीनगर	01	0	01	0	0	0	0	01	01
8	अलीगढ	01	01	01	0	01	0	0	01	0
9	सहारनपुर	01	01	01	0	01	0	0	01	0
10	पिपरी,रेनकूट, सोनभद्र	01	01	0	0	01	0	0	01	01
	योग	09	08	07	02	06	02	01	08	02

विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी हेतु रिक्तियां–45

पुनर्योजन / पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट URL:http://uplabour.gov.in/ESIS या sewayojan.up.nic.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। कृपया आवेदन से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यान से पढ लें।

(डा0 गायत्री जायरा)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

Directorate, ESI Labour Medical Sevices, UP, Sarvodayanagar, Kanpur

Advertisement for Re-appointment of Retired Specialists For ESIS Hospitals

No:T-16/Punaryojan/2026/ 1915/ Date: 04/11/26

The State Govt. has decided to re-appoint the retired Medical Officers/ Specialists against vacant post of GDMOs/Specialists in ESI Hospitals and Dispensaries under ESI Scheme UP, vide GO No:525/36-6-2020-34(sa)/2019, dated:27.4.2020 and 559/36-6-2020-34(sa)/2019, dated 10-6-2020. In pursuance of concurrence given vide state govt. letter No: GO No. 60/36-6-2025-34(sa)/19 (1698260) dated 30-12-2025, the applications are invited from retired Specialists of ESI Scheme UP/ UP Provincial Medical Health services (eligible for pension from state govt. Treasury under old pension scheme of UP govt.) for re-appointment on following posts for the period of one year or age up to 65 year or till the availability of regular Specialists (whichever is earlier) on prescribed format by 10th December, 2026, 05:00 PM by Registered/Speed Post or by directly in Directorate, Employee's State Insurance Scheme, Labour Medical Services UP, Sarvodaya nagar Kanpur.

Vacancies of Specialists for ESI Hospitals

Sl No	ESIS Hospitals	Specialist								
		Physician	Surgeon	Ortho. Surgeon	Radiologist	Anesthetist	Chest & T.B Specialist	Pathologist	Obs. & Gayne.	Pediatrician
1	Pandunagar kanpur	01	01	01	01	0	0	0	0	0
2	Sarvodayanagar, Kanpur	01	01	0	0	01	0	0	01	0
3	Kidwainagar Kanpur	01	01	01	0	01	0	0	01	0
4	Azadnagar, Kanpur	0	0	0	01	0	02	01	0	0
5	Naini, Prayagrag	01	01	01	0	0	0	0	01	0
6	Agra	01	01	01	0	01	0	0	01	0
7	Modinagar	01	0	01	0	00	0	0	01	01
8	Aligarh	01	01	01	0	01	0	0	01	0
9	Saharanpur	01	01	01	0	01	0	0	01	0
10	Pipri, Sonbhadra	01	01	0	0	01	0	0	01	01
	Total	09	08	07	02	06	02	01	08	02

No. of Vacancies of Specialists- 45

The term and condition and proforma for application format for reappointment is available on URL http://uplabour.gov.in/ESIS and sewayojan.up.nic.in. Applicants are requested to kindly read all conditions carefully before applying.

(Dr. Gayatri Jais)
Joint Director
For Director

निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0, सर्वोदयनगर, कानपुर।
सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

संख्याः टी–16 / पुनर्योजन / 2026 / 1915 दिनांकः 04/11/2026

उ0प्र0 शासन के श्रम अनुभाग–6 के शासनादेश संख्याः525 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांक 27–4–2020 एवं 559 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांकः10–6–2020 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों मे साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में शासनादेश संख्या 60 / 36–6–2025–34(सा0) / 19(1698260) दिनांकः30.12.2025 द्वारा जनहित के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10.06.2020 के प्राविधानानुसार योजनान्तर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में विशेषज्ञतावार विशेषज्ञो के रिक्त पदो के सापेक्ष सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तर प्रदेश / उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के सेवानिवृत्त विशेषज्ञों से, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुरानी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के राजकोष से पेंशन हेतु पात्र हैं, 01 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने या विशेषज्ञ पद पर नियमित तैनाती होने तक के लिए (जो भी पहले हो) पुनर्नियुक्ति / पुनर्योजन हेतु निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत / स्पीड पोस्ट या सीधे निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उ0प्र0 सर्वोदयनगर, कानपुर में दिनांकः10.12.2026 की शायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की पुनर्नियुक्ति हेतु विशेषज्ञों की रिक्तियों का विवरण

क्र0 सं0	क0रा0बी0 चिकित्सालय	विशेषज्ञ								
		फिजीशियन	सर्जन	आर्थो0 सर्जन	रेडियो लाजिस्ट	एनेस्थेटिस्ट	चेस्ट एवं टी0बी0 रोग	पैथा लाजिस्ट	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	बाल रोग विशेषज्ञ
1	पाण्डुनगर, कानपुर	01	01	01	01	0	0	0	0	0
2	सर्वोदयनगर, कानपुर	01	01	0	0	01	0	0	01	0
3	किदवईनगर, कानपुर	01	01	01	0	01	0	0	01	0
4	आजादनगर, कानपुर	0	0	0	01	0	02	01	0	0
5	नैनी, प्रयागराज	01	01	01	0	0	0	0	01	0
6	आगरा	01	01	01	0	01	0	0	01	0
7	मोदीनगर	01	0	01	0	0	0	0	01	01
8	अलीगढ	01	01	01	0	01	0	0	01	0
9	सहारनपुर	01	01	01	0	01	0	0	01	0
10	पिपरी,रेनकूट, सोनभद्र	01	01	0	0	01	0	0	01	01
	योग	09	08	07	02	06	02	01	08	02

विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी हेतु रिक्तियां–45

पुनर्योजन / पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट URL:http://uplabour.gov.in/ESIS या sewayojan.up.nic.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। कृपया आवेदन से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यान से पढ लें।

(डा0 गायत्री जायस)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

पत्रांक:टी–16/पुनर्योजन/2026/19152–67 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग–6, बापू भवन, लखनऊ।

2– महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) पंचदीप भवन, सी0आई0जी0मार्ग, नई दिल्ली।

3– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

4– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

5– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7– सचिव, आई0एम0ए0, उत्तर प्रदेश, महात्मा गांधी मार्ग, कैसर बाग, लखनऊ।

8– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

10– निदेशक, सेवायोजन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ को वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।

11– प्रबंध निदेशक, यू0पी0डेस्को, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

12– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, क0रा0वी0 योजना, उत्तर प्रदेश।

13– क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर।

14– निदेशालय के समस्त अधिकारियों को।

15– निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

16– गार्ड फाईल हेतु।

(डा0 गायत्री जायस)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक

विशेषज्ञ पद पर पुनर्योजन/पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञप्ति संख्याः दिनांकः

आवेदित पद (विशेषज्ञ)

विशेषज्ञता

तैनाती हेतु वरीयता कम में इच्छित तीन स्थानः

1. आवेदक का नामः(हिन्दी में) डा0.....
   (अंग्रेजी में) Dr.....
2. पिता/पति का नामः श्री.....
3. जन्म तिथिः(आयु के प्रमाण हेतुः.....
   हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल प्रमाण
   पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. आयु (01–07–2026 को).....
5. वैवाहिक स्थिति .....
6. जेन्डर पुरूष ☐ स्त्री ☐
7. स्थायी पताः .....
   .....
   .....
   .....
8. पत्र व्यवहार का पताः .....
   .....
   .....
   .....
9. शैक्षिक योग्यताः– (प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करें)

स्वप्रमाणित फोटो लगाए

शैक्षिक अर्हता	मेडिकल कालेज का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
एम.बी.बी.एस.						

परास्नातक डिग्री / डिप्लोमा (विशेषज्ञता सहित)						

10. विभाग का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए है.....

.....

11. अंतिम पदनाम तथा कार्यालय का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए.....

.....

12. अंतिम प्राप्त वेतन.....

13. तैनाती विवरण (अंतिम तैनाती से शुरू करते हुए, पिछले 10 वर्षो की तैनाती का विवरण दिया जाए।

पदनाम	कार्यरत स्थल	कार्यभार ग्रहण तिथि	कार्यमुक्त होने की तिथि

14. सेवानिवृत्ति का दिनांक.....
15. पी0पी0ओ0नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें).....
16. क्या कोई सी.बी.आई.जांच / सर्तकता जांच / ..... अनुशासनिक कार्यवाही / अपराधिक मामला विचाराधीन तो नही है। (शपथ पत्र संलग्न करें)
17. कोषागार का नाम एवं बैंक का नाम जहां से ..... पेंशन आहरण हो रहा है।
18. पैन नम्बर.....
19. आधार नम्बर.....
20. अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो, प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें).....

.....

21. राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन संख्या:(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें).....

.....

22. अनुभवः(यदि कोई हो, समुचित प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करें) .....

.....

23. मोबाईल नं0.....24. ईमेल.....

संलग्नकः.....

मैं .....घोषणा करता/करती हूं कि मैने विज्ञापन की पात्रता एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया है जो मुझे स्वीकार है। मेरी जानकारी में मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं/अभिलेख सत्य है। मैने कोई भी तथ्य छिपाया नही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर बिना मुझे सूचना के मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी। मेरी नियुक्ति पुनर्योजन आधार पर की जाती है तो मुझे पद की नियमित नियुक्ति का धारणाधिकार नही होगा और मैं राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा में विनयमितीकरण के लिए हकदारी जताते हुए कोई दावा प्रस्तुत नही करूंगा/करूंगी तथा यदि उक्त चयन प्रकिया अपरिहार्य कारणों से निरस्त/ स्थगित कर दी जाती है तो आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम